

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 154 / 2024(GCMS : 2024/229)

Bandhan Bank Limited, DN-32, Sector V, Salt Lake City, Kolkata, West Bengal-700091 **Regional Office Address** Bandhan Bank Ltd. Nataji Marg, Near Mithakhali Six Roads, Ellisbridge, Ahmedabad, Gujrat-380006, **Sriganganagar Branch Address** : Bandhan Bank Limited , Plot No. 44, K-Block, Ground Floor, Near Tandon Laboratory Sriganganagar-335001 **Through Authorized Officer Mr. Bhupendra Singh**

बनाम

1. **Mr. Charanjeet Singh** Address Balwant Singh Ki Dhani, Prem Nagar, Sriganganagar, Rajasthan-335025
2. **Mr. Sandeep Kour** Address Balwant Singh Ki Dhani, Prem Nagar, Sriganganagar, Rajasthan-335025
3. **Mr. Gurjeet Singh**, Address Balwant Singh Ki Dhani, Prem Nagar, Sriganganagar, Rajasthan-335025



18.11.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री कमल जोशी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण चरणजीत सिंह, संदीप कौर एवं गुरजीत सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 20.00/-रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 30.07.2020 को प्रदान की थी, अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 12.04.2024 को 20,52,739/- रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी चरणजीत सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा सं. 349, किला संख्या -04, मुरब्बा संख्या-63, चक संख्या 1-ए छोटी, श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4035 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में - रोड़, दक्षिण में - श्री राजेन्द्र सिंह मकान, पूर्व में -रोड़, पश्चिम में - श्री दर्शन सिंह का मकान) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने का प्रार्थना की है।


जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण चरणजीत सिंह, संदीप कौर एवं गुरजीत सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 20.00/- लाख रुपये (अखये रुपये बीस लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 30.07.2020 को प्रदान की थी ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी चरणजीत सिंह ने अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा सं. 349, किला संख्या -04, मुरब्बा संख्या-63, चक संख्या 1-ए छोटी, श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4035 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में - रोड़, दक्षिण में - श्री राजेन्द्र सिंह मकान, पूर्व में -रोड़, पश्चिम में - श्री दर्शन सिंह का मकान), को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.03.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे। पत्रावली में उपलब्ध पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।



जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी चरणजीत सिंह की अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा सं. 349, किला संख्या -04, मुरब्बा संख्या-63, चक संख्या 1-ए छोटी, श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4035 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में - रोड़, दक्षिण में - श्री राजेन्द्र सिंह मकान, पूर्व में -रोड़, पश्चिम में - श्री दर्शन सिंह का मकान), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 12.04.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.04.2024 को ही भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के पोस्ट आफिस द्वारा ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी चरणजीत सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Mansu

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी चरणजीत सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा सं. 349, किला संख्या -04, मुरब्बा संख्या-63, चक संख्या 1-ए छोटी, श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4035 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में - रोड़, दक्षिण में - श्री राजेन्द्र सिंह मकान, पूर्व में -रोड़, पश्चिम में - श्री दर्शन सिंह का मकान), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर